भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग - 1, खण्ड - 1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली 10011

सार्वजनिक सूचना सं0 30 /2009-2014(आर ई - 2010)
नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2011

विषयः- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 में वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र से संबंधित पैराग्राफ 4.24क में संशोधन ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 2009-14 (आर ई - 2010) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.24क की क्रम सं0 (i) की धारा में संशोधन :-

पूर्व की धारा :

(i) "क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र जारी करते समय निम्नलिखित निविष्टियों के लिए तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा :-......................................"

संशोधित धारा

(i) "प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात खेप की निकासी के समय निर्यातक निम्नलिखित निविष्टियों के लिए तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा जिन्हें सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रविष्टि बिल/बीजक में पृष्ठांकित किया जाएगा :-......................................"

इस संशोधन का प्रभाव : इस संशोधन के द्वारा निर्यातक के पास ऐसी खेप की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र में संशोधन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशलय के क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करने की आवश्यकता के बिना संगत निविष्टि (निविष्टियों) का आयात करने के लिए लचीलापन होगा । प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.24क की क्रम सं0 (i) की धारा में उल्लिखित निविष्टियाँ समान रहेंगी ।

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.24क की क्रम सं0 (iii) की धारा की प्रथम पंक्ति में संशोधन :

पूर्व की धारा :

(iii) " पात्र हकदारी के भीतर कोई निर्यातक किसी लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा एक से अधिक प्राधिकार-पत्रों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि एक पंजीकरण के पत्तन के मद्दे उसी उत्पाद समूह के लिए केवल एक प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकता है । "

संशोधित धारा

(iii) " पात्र हकदारी के भीतर कोई निर्यातक किसी लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा एक से अधिक प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि एक पंजीकरण के पत्तन के मद्दे उसी उत्पाद समूह के लिए अधिकतम 5 प्राधिकार पत्र जारी किए जा सकते हैं ।"

इस संशोधन का प्रभाव : यह सुविधा निर्यातक को प्रति आयात के पत्तन, प्रति उत्पाद समूह वार्षिक आवश्यकता के लिए 5 अग्रिम प्राधिकार पत्रों तक का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी । पूर्व में निर्यातकों को प्रति आयात के पत्तन, प्रति उत्पाद समूह केवल एक प्राधिकार पत्र की अनुमति दी जाती थी ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/94/180/क्षेत्रवार समीक्षा - अध्याय 4/ए एम 11/पीसी-4 से जारी)